उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–1174 / IX–1 / 2016 / 246 / 2004
देहरादूनः दिनांक 17 अक्टूबर,2016

**अधिसूचना**

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम–1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 56 के उप नियम (8) (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड में श्री विनोद चौहान, अजबपुर कलां, देहरादून तथा श्री लाल सिंह बजेठा ग्राम एवं पो0 रनमन, जिला अल्मोड़ा को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निवर्हन के लिए गैर सरकार सदस्य के रूप में, इस अधिनियम के जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(सी0एस0 नपलच्याल)
सचिव।

संख्या– (i) / 2016 / 246 / IX–1 / 2004 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद–हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु परिवहन अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन, को यथाशीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

आज्ञा से,

(चिरंजी लाल)
अनु सचिव।

संख्या–1174 (ii) / 2016 / 246 / IX–1 / 2004 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।
2– आयुक्त कुमायूँ / गढवाल मण्डल उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित महानुभाव।
6– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल।
8– एन0आई0सी सचिवालय परिसर देहरादून।

आज्ञा से,

(चिरंजी लाल)
अनु सचिव।

CAO/STA
18/X/16